

15012007 9801 5000Rs



House Saleded



I. D. S. RATHORE as

Prabhari Adhikari (Sampati)



प्रभरी अधिकारी (सम्पति)
जलनगर निवास बालिहार



सार्वजनिक दोषात्मक, सख्खनऊ

Fig. 1. *Scutellaria* sp. (S. *lanceolata* L.)

১৯৭৪-১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক বিদ্যুৎ

It is not clear what the exact meaning of the term "furtherance" is in this context.

卷之三

0-96811 | 974001

Walter R. Goss 2000

अद्वितीय जैन

ପ୍ରକାଶକ ମିଶନ୍

३२१ -

मुख्य विभाग - मध्य समर्पण

मध्य विद्या, विज्ञान एवं प्रकृति की विद्या

८५ नियंत्रक (द्वय)

નવીનક
26.7.02

निष्पादन निष्पादन तार युक्ति व संस्कृते मन्त्रमूलके

उत्तर द्वारा उपरिकाश नहीं है वे व्यक्तिगत उनकी पर्याप्ति

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਖਿਆ
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਲਾਵ ਦਾ ਸਿਖਿਆ

मैंने इस विषय पर महाराजा को लिखा है कि
इस गीत का लियादा को डीक्टी-एडिशन
ने प्राप्त कराया है। इसके लिए धन्यवाद है।

१८६३

ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ
ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ



LUCKNOW TREASURY

1 JUL 2002
T.O.T.O.
A.T.O. Victoria
Lucknow Collectorate

- 2 -


Development Authority Lucknow

For and on behalf of the

Saini *Saini*

.....3
लक्ष्मी न विनाशि (सम्पत्ति)
सम्बन्ध दिला लालिकरण
सम्बन्ध

1000Rs.



LUCKNOW TREASURY

1 MARCH 1932

TO
LUCN N & C

- 3 -

Seller and SRI AVINASH JAIN

age about 38 Years son of

SRI SHIKHAR CHAND JAIN & SMT.








.....4
अवारी बिनारी १००५।
बदल दिलावा आदिवास
बदल

1000Rs.



- 4 -

SANGEETA JAIN age about 35

Years wife of SRI AVINASH JAIN

resident of House No.7, Lawrens

Teres Colony Lucknow as purchaser

Avinash Jain
Signature of Avinash Jain

Sangeeta Jain
Signature of Sangeeta Jain

.....5
प्राप्तार्थी का नाम / प्राप्ति
संगत दिन शाहिदत्व
संगत

1000Rs



- 5 -

have executed the SALE DEED

in Respect of House No.7, situ-

ated in LAWRENS TERES COLONY

[Signature]
S. Srinivasan
[Signature]
S. Srinivasan

.....6
.....
प्राप्ति संसाधनी / लाभ
संघर्ष नियन्त्रण प्राधिकार
विधानसभा

100RS.



- 6 -

LUCKNOW in consideration of

sum of Rs. ९६८७७/- only.

on the terms and conditions

given in the printed SALE DEED

Afzil
Soham

.....7
गोप्ता - गोप्ता (लालचिह्न)
सरकारी विक्रम शास्त्रिय
पद्धति

500Rs.



- 7 -

FORM attached hereto with

plan. "This deed is execu-

ted subject to the condition

that if at any stage it is

A.C.
Om

....B
मा. ना. (प्राप्ति)
सरकारी प्राप्ति प्राप्ति
सरकार



- 8 -

established that the cost of con-

sideration was not actually fully

paid as was apparent from the depo-

sited receipts, the purchaser shall

[Signature]
[Signature]
[Signature]

.....
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



- 9 -

be responsible to pay the balance amount to Lucknow Development Authority."

For Seller,
Prabhari Adhikari (Sampati)
Development Authority Lucknow

1-Witness :- (U.S. Sircar)
Address :- L. D. A. Lucknow

2-Witness :- (Nivedi)
Address :- Umakant Nivedi
555 KAT/110/13 Bhola Khana Subash Nagar
Yojna Sahayak/vilekh tayyarkarta :- Aman Singh

typed by :- J.



लखनऊ विकास प्राधिकरण

विक्रिय / पृष्ठा विलेख

205-206

अनिलार्पि एवं अनिलार्पि
कल्पत्रिष्णि का वृत्ति
सी/श्रीमती/कुमारी
राजा/राजा/कुमारी
कल्पत्रिष्णि वृत्ति

किंतु यह क्षमा विकल्प के अन्तर्गत /पट्टदार छहकर सचिवीकृत किया जाय है जिसका कार्य उक्त को
वा उक्त को देखील नाम पर प्रयुक्त न किया जाय ही क्षेत्र /पट्टदार एवं उक्त को देखील छहकरकीरणीय मिशिक
संस्थानीकृति द्वारा लगानुदायीता ते तिया जारी) हिस्तीय रूप के कारण विकल्पीकृत किया जाय। इकाने के इस
विकल्प के क्षेत्र /पट्टदार छहकर सचिवीकृत किया जाय है जिसका कार्य उक्त को देखील नाम पर
प्रयुक्त न किया जाय ही क्षेत्र /पट्टदार स्वयं उक्त को देखील छहकरकीरणीय मिशिक संस्थानीकृति द्वारा ते तिया जारी) हिस्तीय रूप के कारण विकल्पीकृत किया जाय।

बूके शालगढ़रेण दिनांक 15 मून् 1921 के द्वारा समाज इन्सुलरेट ब्रेस्ट ब्रेस्ट स्ट्रिप्प वर्ष की हिन्दूपे पर उत्तर्युद्धं चर्चोत्तर्यो चो द्वारा मैं विकास प्राथिकरण के उठने पर, विकास प्राथिकरण को इन्हाँ-चाहिए तुर्गु रवि विकास प्राथिकरण द्वारा लक्ष्य बनाये गई और किंवदं पर उत्तर्युद्धं चर्चोत्तर्यो चाहिए के वित्तारण हंसु नमन का विकास करने द्वारा उत्तर्युद्धं चर्चोत्तर्यो को कुछ निर्मिता निभय एवं शार्त के छायाँ 30 वर्ष के सट्टे पर दिये जाने की घटस्थल की गई है तथा वास्तविक शालगढ़रेण एवं विकास काने के पश्चात लखनऊ विकास प्राथिकरण संघीये द्वारा ब्रह्मनुकार निभय एवं राज्य नियोगित की गई है तथा किंवदं पर आयोडिल लालाहोय/आयोडिली वश्वायेक/चर्चोत्तर्यो के विकास/सट्टा हंसु एवं कर्म चुक्केका जर्मी की गई है।

बूकि द्वितीय संस्कृत इन्स्टीट्यूट/लखनऊ विश्वास ज्ञानिकालय द्वारा दिए गए हैं। इन्हें विश्वास विद्यालय विभाग द्वारा दिया गया है। ये बूकें/संग्रह इन्स्टीट्यूट द्वारा _____ रुपये में खरीद का लिपेन्डार हैं। लेख कितारों पर उठाए गए अनिवार्यी के द्वारा लेखों की यह विज्ञान पुस्तकों के लिये लगभग 100 रुपया का एक छूट/वे अर्हत देख चल कर्ज़ा 148659 रुपये

इसरे दिनों 'मार्ग
पाठ विषय छांतव्य
प्रक्रिया

(2)

अपेक्षित विनामित दस्तावेज़ों — यह आधा के द्वारा दिनांक २७.२.२२ को बारी किया गया है। इसी समय, लखनऊ विकास प्राधिकरण के नाम दिनांक २३.२.२२ पर रिपोर्ट कहे दिया है तथा आगेहन-पव चावर में अन्तर्भुक्त कर दिया है तथा शपथ-पत्र परे हुए पद्धताकाली/विकेता लखनऊ विकास प्राधिकरण को विष्वास दिलाया है कि वह प्रश्नापत्र सम्पत्ति को कम करते में तत्वाखण्डित भूमि को पढ़ते पर लेने हेतु एकमात्र विकास है एवं वही समय-समय पर जारी किये गये विषय एवं भूमि का विवरण पालन करता रहेगा।

युक्ति विभारित नियमों के अनुसार द्वितीय पक्ष को निश्चयान्तरी वाले निर्मित आवाय/व्यवसारी प्रतिक्रिया का प्रणाली द्वारा ₹२६.८८८८५० गूल्य विभारित किया गया है व उक्त इकाई के अन्य उत्तराधिकार 30 वर्षीय पद्धति पर यह जाने वाली भूमि का भीमियम् गूल्य ~~अ~~ आधा किरारित किया गया है। जिसका लीजरेन्ट प्रतिवर्ष ~~अ~~ रामगांडा द्वारा तथा फ्रेला/द्वितीय पक्ष ने प्रश्नापत्र सम्पत्ति जो कि इस विलेख के माध्यम से विभीत अस्थायित की जा रही है उसका सम्बूद्ध विक्रय गूल्य ~~अ~~ व ग्रीमियम् शुल्क तथा 10 वर्ष का एक गुश्त लीजरेन्ट जगा कर दिया गया है। जिसका विस्तृत विवरण इस विलेख के अन्त में दिया गया है।

आइ यह विक्रय पत्र व पट्टा विलेख नियम प्रकार से संदर्भित करता है

1. यह कि एपरेलानुसार गूल्य प्राप्त करने के फलवरुण विकेता/पद्धताकाली लखनऊ विकास प्राधिकरण एवंद्वारा प्राविधान करता है और लिखे देता है कि एपरिलिखित सम्पत्ति इकाई संचया रकम । ५१.५५/१२ गोपनीय गूल्य जो विभारित द्वारा दिया गया है उक्त इकाई संचया योजना में एक मणिल, दो मणिल, तीन मणिल भवन के रूप में एकल/सम्पुक्त रूप से पृथक-पृथक निर्मित है तथा जिसे इस विलेख के साथ में रालग्न मानवित्र में निर्मित की बाल रंग से दर्शाया गया है तथा जिसका विस्तृत विवरण विलेख के अन्त में सापत्ति अनुसृति के अन्तर्गत रूपरूप से दर्शाया गया है। उस निर्मित इकाई ऐनागेन्ट को पूर्ण रूप से क्रेता के पक्ष में राईव के लिए गिराय कर दिया गया है तथा ऐनागेन्ट/मवन सम्बन्धी पूर्ण रवागित्वाधिकार क्रेता को रौप दिये गये हैं। क्रेता के लिए यह संचित होगा कि वह अपने नाम से नगर गहापालिका तथा जन्य आवश्यक रक्षान्तरी पर अपना नाम दाखिल-बारिंज करवाये तथा भवन कर विद्युत कर अथवा किसी अन्य देय शुल्क/कर जो विभि अनुरूप विभारित किया जाये उसकी अदायकी करे।

2. यह कि ऐनागेन्ट के रखापी द्वारा निर्मित इकाई से साबद्ध गृहि जिसका होक्रफल । ५१.५५/१२ गर्मपूट है। उसके ग्रीमियम् गूल्य रु०२६.८८८८५० (रु०। १५।५५।१२।२३।२२) द्वारा दिया गया है एवं एक गुश्त ~~अ~~ वर्ष का लीजरेन्ट को फलवरुण 30 वर्षीय पद्धते परे एंटद्वारा आवासित करते हुए यह पट्टा विलेख निष्पादित कर दिया गया है।

3. यह कि क्रेता उक्त ऐनागेन्ट में नागित होने के कारण पहले से ही अस्थायन में है तथा इस विलेख द्वारा विभीत/अन्तरित सम्पत्ति का संकेतानिक कब्जा भी आज दिनांक ~~अ~~ से नागित करने वाले गूल्य विकास द्वारा उसे रौप दिया गया है। क्रेता/पट्टेदार इस हेतु वर्णवद्ध है कि आगे प्रत्यरोपी में उल्लिखित नियम शर्त तथा प्राविधानों का वह पालन करता रहेगा तथा कई इकाई होने की विधति में संलग्न अथवा ऊपर नीचे की इकाई ऐतु प्राकृतिक न्याय की दृष्टि में जो साहयोग अपेक्षित होगा उसे किया जायेगा।

ममारी विभागी /ग्राम-८
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ



(3)

4. यह कि प्राविधान यह है कि गुख्य मार्ग से आवागमन के रास्ते व जीने का स्थानित किरी एक पदा के पास पूर्णतः नहीं रहेगा। यदि प्रथम तल पर संयुक्त रूप से निर्मित भवन में दो आवासीय इकाइयाँ होंगी तो दोनों लोगों के उक्त आवागमन का मार्ग एवं जीने पर रामान्य अधिकार एवं सामान्य उत्तरदायित्व रहेगा। इसी प्रकार से द्वितीय तल निर्मित होने की स्थिति में उक्त तलवाओं भी आवागमन के मार्ग व जीने में सामान्य रूप से भागीदारी एवं उत्तरदायित्व निभाने हेतु बाध्य होगा।

5. यह कि प्रथम तल एवं द्वितीय तल स्थिति निर्मित इकाई का विक्रिय करने के फलरवलप थवपि स्थानित सम्बन्धी रामरस्त अधिकार क्रेता में निहित कर दिये गये हैं परन्तु ऊपरी छत पर स्थायी रूप से निर्माण कराने के लिये कोई भी पदा अधिकृत नहीं होगा। प्राविधान यह भी है कि जिस योजना में दो या तीन या कई जितने भी भवन प्रथम तल पर पृथक इकाई के रूप में निर्मित हैं इन सभी इकाइयों को अपनी-सापनी छत पर प्रयोग करने का रामान्य अधिकार प्राप्त होगा अर्थात् यदि दो भवनों की इकाई है तो पूरी छत के आधे हिस्से का प्रयोग एक इकाई तथा शेष आधे हिस्से का प्रयोग दूसरी इकाई के द्वारा किया जायेगा। इसी के साथ-साथ विशेष रूप से प्राविधान यह है कि उक्त छत को प्रयोग करने के लिये अधिकारिक रूप से भूतल निवासी किरी भी रूप में अधिकृत नहीं होगा। इस क्रम में प्राविधान यह भी किया जाता है कि यदि कोई भवन दो मणिला के बजाय तील मणिला निर्मित हो तो भूतल को छोड़कर प्रथम तल व द्वितीय तल निवासी उक्त सर्वोच्च छत में से आधे-आधे भाग को प्रयोग करने के लिये अधिकृत होंग।

6. यह कि सर्विस लेन का आवंटन नहीं किया गया है अतः भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल के किरी भी निवासी को सर्विस लेन पर किरी प्रकार का स्थाई अथवा अस्थाई निर्माण करने तथा उसे अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होगा।


7. यह कि किरी तल के निवासी द्वारा भवन में कोई भी निर्माण विकास प्राधिकरण से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही रखीकृत मानवित्र के अनुसार करा सकेगा। विना अनुमति के प्रश्नपात भवन के कोई भी निर्माण अनुगम्य नहीं होगा। यदि किसी पक्ष द्वारा अनुमति प्राप्त किये विना कोई निर्माण कराया गया तो उसके विरुद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसके लिये पक्षकार स्वयं जिम्मेदार होंगा। जो निर्माण वर्तमान समय में निर्मित के रूप में विक्रिय किया गया है उसे इस विलेख के साथ संलग्न मानवित्र में स्पष्ट रूप से दर्शा दिया गया है। यदि कोई पक्ष निर्माण करना चाहे तो उसके लिए प्राधिकरण और भवन के सह स्वामी की अनापत्ति भी आवश्यक होगी। ऊपरी छत पर किसी प्रकार का कोई स्थायी निर्माण अनुगम्य नहीं होगा।

8. यह कि भवन क्रेता पालिका कराँ, शुल्कों व अन्य देयों के लिये उत्तरदायी होगा।

9. यह कि सभी भवन जैसे हैं जहाँ है के सिद्धान्त पर विक्रिय किये गये हैं। कोई भी क्रेता इस सम्बन्ध में अथवा भवन की स्थिति/हालत के सम्बन्ध में विक्रेता/लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध कोई शिकायत करने अथवा उसके विरुद्ध कोई उपशम प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. यह कि भूतल के ऊपर स्थित रासी तलों के निवासियों का यह कर्तव्य होगा कि किसी प्रकार की सीवर/वाटर लाइन में टूट-फूट या रिसाव न आने दें तथा ऐसा होने पर तुरन्त अपने तल की ऊचाई तक प्रत्येक तलवासी अपने पैरों से उराकी भली-भग्नतिमरम्मत करावाने के लिए बाध्य होगा। यदि विजली कनेक्शन/टेलीफोन कनेक्शन अथवा अन्य किसी भी नियमानुसार कनेक्शन लिये जाने हेतु सीढ़ी लगाने की अथवा अरथात् रूप से भूमि पर से आधार लेने की आवश्यकता पड़े तो ऐसी स्थिति में भूतल वासी कोई आपत्ति नहीं करेगा तथा ऊपरी तल स्थित कार्य एवं मरम्मत में अधिकृतम सहयोग करेगा।

बासी विभागी (पालिका)
भवन विभाग प्राधिकरण
सरकार



(4)

11. यह कि किसी भी तरल का कोई भी निवारी प्रक्रीया इकाई में किसी प्रकार को कोई एक्सप्लोसिव न तो प्रयोग में साधेगा और न किसी को प्रयोग करने की कोई अनुमति दी जाएगा।

12. यह कि भूतल रो ऊपर के निवारी की इकाई का शेवफल जितना होगा वह केवल आच्छादित शेवफल की भूमि के लिए ही अधिकृत होगा। आवागमन का गार्भ तथा जीवना इत्यादि किसी के साथ। न एकमात्र रूप रो नहीं रहेगा तथा उक्त गार्भ पर कोई निवारी प्रकार की कोई वाप्त उत्पन्न नहीं करेगा।

13. यह कि भूतल रो ऊपर का कोई भी निवारी आणी फर्स पर किसी प्रकार की कोई ऐसी चाट नहीं पहुँचायेगा जिससे कि भावन निर्माण को किसी प्रकार की दृष्टि पहुँचे अथवा कोई गुकरान हो।

14. यह कि पुनः स्पष्ट किया जाता है कि भूतल, रो ऊपर निर्मित इकाई के बल उतने शेवफल भूमि के लिए अधिकृत होगे जितना शेवफल निर्मित अवश्य में प्रक्रिया किया गया है व उन्हें भूमि का पट्टा किया गया है। परन्तु उक्त भूमि के अतिरिक्त भूतल पर अन्य जो भी भूमि, लौंग इत्यादि होगा वह सब भूतल गारी के प्रयोग एवं पट्टे के अन्तर्गत रहेगा।

15. यह कि अस प्रिन्टर्स/पट्टा अग्निलेख रो सम्बंधित उत्पन्न होने वाली समरत प्रकार के विद्युतों की रुचनवाई एवं निस्तारण का शेवाधिकार केवल लखनऊ रिथत न्यायालयों को ही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर न्यायालय अथवा उपभोक्ता राखण अधिनियम के अन्तर्गत की गई शिकायत का निस्तारण किसी अन्य स्थान पर रिथत न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकेगा। पदि कोई पक्ष किसी अन्य स्थान पर वाद अथवा शिकायत राखिवाल करे तो वह वाद इस प्रिन्टर्समें अविन्त इस प्रस्तर के प्रकार में न्यायालय द्वारा शेवाधिकार न होने के आधार पर निरस्त कर दिया जाय। इस हेतु दोनों पक्षकार सहमत हैं।

16. यह कि एतद्वारा स्पष्ट किया जाता है कि इस प्रिलेख में जहाँ कहीं भी प्रक्रिया विक्रेता तथा क्रिया इत्यादि का उल्लेख किया गया है वह केवल निर्मित स्थल/टेनामेन्ट से ही सम्बंधित है। उसका भाव किसी भी रिथति में पट्टे पर दी गयी भूमि से सम्बंधित नहीं समझा जायेगा।

17. यह कि विक्रीत/अन्तरित राष्ट्रित वार्ड इडार्टेमेंट में रिथत है।

18. यह कि इस प्रिलेख पर स्टैम शुल्क की अदायगी हेतु मूल्यांकन निम्न प्रकार से है -

(क) निर्मित टेनामेन्ट का प्रिक्रिया गूल्म ९६४७८ रु०। तत्सम्बंधित पट्टे पर आवन्ति भूखण्ड का प्रीमियम गूल्म × रु०। एकमुश्त जमा किया गया लीजरेन्ट × रु०। इस प्रकार साबको मिलाकर मूल्यांकन × रु० होता है।

(ख) यह कि अन्तरित/विक्रीत राष्ट्रित × रु० प्रतिमाह किराये पर आवन्ति वा जिराका 300 गुणा किये जाने पर मूल्यांकन × रु० होता है।

अतः अधिकतम मूल्यांकन पर रटैम शुल्क की अदायगी कर दी गई है।

अतः प्रगाणपत्र के तीर पर लखनऊ विकारा प्राधिकरण की तरफ से प्रगारी अधिकारी व क्रेता/पट्टेदार वी तरफ रो स्वयं उसने/उसके द्वारा अधिकृत मुख्तार ने अपने रवरथ चित्त होकर साक्षियों की उपस्थित में इस प्रिलेख में दर्शित नियम एवं शर्तों के स्वीकृत रवरुप 6, ज०० रु० जोरा गार्ड, लखनऊ में अपने-अपने हस्ताक्षर तनाकर दिनांकित किया।


विक्रीत/विक्रीत राष्ट्रित
संचालक विद्युत प्राधिकार
सरकार




5

सम्प्रति बनास्तुची

- (c) विक्रीत नियमित इकाई रुपों में । नियमित रूप से ।
 बूल्ड / इन्हेन्युर लस / हाइड्रोज लस एवं उचित दोहरा दोहरा विस्तृत विवरणी इकाई इकाई का
 प्रयोग - Rood वीजन - ohm
 वर्गलम - Metre ट्राईव - Volts
 वीजना का अनुरूप - Volts
 उचित नियमित विवरणी इकाई की वर्तमान इकाई की वर्तमान विवरणी इकाई की वर्तमान के उचित
 रूप से व आवश्यकता के बारे लक्ष रखने को बहरे नीति से से व्यापकित ।
 विवरणी विवरणी वर्तमान है।

(d) विक्रीत नियमित इकाई से संबंधित चारों रूपों में जो पूर्णी की संख्या ॥ उत्तर ।

प्रथम - दृष्टिमुद्रा

३८५

1

一

三

नमः उमाशीकरणीवारदय
देवता का नाम इष्टोऽस्मि उमादेव
प्रथा : ले-विष्णु-हैरवाह

ब्रह्मणे दोषात्परे । चैत्ये
स्वाध विषय शास्त्रिकान्
प्राचीन दृष्टिकाणां
लक्षणक विषयक शास्त्रिकान्

मा उमाकान्त बिमेलि

पिता ज नाम Sri K.K. Tripathi

555 Knt | 110 | 13 Bl. lathe
Sulphur, Negro, Altenbach
Luedenau.

221712002

A circular stamp impression, likely a library or archival mark, is centered on the page. The text within the stamp is mostly illegible due to fading, but some characters like 'B' and 'S' can be discerned.